झारखण्ड सशस्त्र पुलिस निदेशालय, डोरण्डा, राँची।

Special Auxiliary Police (SAP) के प्रथम एवं द्वितीय वाहिनी में सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का विज्ञापन।

विज्ञापन संख्या– 01/2015

1. झारखण्ड सरकार गृह विभाग ने अपने पत्र संख्या– 15/ए0पी0–106/2006 (खण्ड)–3033/राँची दिनांक 20.05.2015 द्वारा झारखण्ड राज्य में उग्रवादी गतिविधियों/हिसंक गतिविधियों पर बेहतर नियंत्रण रखने तथा अन्य सुरक्षा दायित्वों के निर्वाह के उदेष्य से भारतीय सेना के सेवानिवृत सैन्य कर्मी की सेवा अनुबंध के आधार पर प्राप्त कर बहु उद्येशीय Special Auxiliary Police (SAP) के दो सैप बटालियन के कुल 1482 x 2 =2964 पद के विरूद्व पूर्व में निर्धारित शर्तो एवं दर (एक **मुश्त** वेतन) पर दिनांक 01.06.2015 से 31.05.2017 तक पदावधि का विस्तार का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है।

2. अतः राज्य सरकार के उपरोक्त पत्र एवं पत्रांक–15/ए0पी0–106/2006 (खण्ड) 2717 दिनांक 06.05.2015, पत्रांक–15/ए0पी0–106/2006–3813 दिनांक–22.06.2015 तथा महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक 663/ए0 दिनांक 25.05.2015 में सैप बटालियन–01, टाटीसिल्वे, राँची एवं सैप बटालियन–02, मुसाबनी, पूर्वी सिंहभूम में विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु पदवार रिक्ति की विवरणी निम्न प्रकार है :–

क्रमांक	पदनाम	सैप–01	सैप–02	कुल रिक्ति	एक मुश्त वेतन प्रतिमाह
1.	सुबेदार मेजर (सामान्य)	10	10	20	18,000/–
2.	सुबेदार (सामान्य)	10	10	20	18,000/–
3.	नायब सुबेदार (सामान्य)	63	63	126	18,000/–
4.	सुबेदार/नायब सुबेदार (तकनीकी)	18	18	36	18,000/–
5.	सुबेदार (वितंतु)	01	01	2	18,000/–
6.	नायब सुबेदार (वितंतु)	26	26	52	18,000/–
7.	आशु अ0नि0 (नायब सुबेदार)	01	01	2	18,000/–
8.	प्रधान लिपिक	01	01	2	15,000/–
9.	लिपिक	02	02	4	12,000/–
10.	हवलदार (सामान्य)	217	217	434	15,000/–
11.	चालक हवलदार	10	10	20	15,000/–
12.	चालक सिपाही	52	52	104	15,000/–
13.	सामान्य सिपाही	913	913	1826	15,000/–
14.	रसोईया (जो हथियार चलाने एवं आवष्यकतानुसार सिपाही के सदृष्य कार्य करने की क्षमता रखते हों)	15	15	30	11,000/–
कुल योग		**1339**	**1339**	**2678**	

3. **झारखण्ड सरकार गृह विभाग अधिसूचना सं0–108 दिनांक–07.06.2008 की कंडिका–4 के अनुसार सेवा संबंधी अनुबन्ध में निम्नलिखित शर्तें होगी :–**

I. सेवानिवृत्त जे0सी0ओ0, हवलदार एवं सिपाहियों को अनुबंध पर नियुक्ति एक मुश्त मासिक वेतन के आधार पर किया जायेगा।

II. झारखण्ड राज्य के निवासी भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध न होने की स्थिति में दूसरे राज्यों के भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति की जायेगी।

III. अनुबंध पर रखे इन भूतपूर्व पदाधिकारियों/कर्मियों को एक वर्ष में केवल 30 दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश देय होगा।

IV. यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता सरकारी डियूटी के दौरान नियमानुसार देय होगा।

V. कर्त्तव्य पालन के क्रम में मृत्यु की परिस्थिति में राज्य के पुलिसकर्मियों को जो अनुग्रह अनुदान देय है वह उन्हें भी देय होगा, परन्तु आश्रित को नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं होगा।

VI. भूतपूर्व सिपाही एवं हवलदार की उम्र क्रमशः 35–45 वर्ष एवं 35–48 वर्ष के बीच होगी तथा जे0सी0ओ0 की उम्र 45–55 वर्ष तक होगी। इसमें कम आयु वाले एवं विशेष प्रशिक्षण तथा अनुभव प्राप्त भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जायेगी।

VII. पूर्ण अनुशासन एवं निष्ठा कायम रखना होगा। अनुशासनहीनता एवं कर्त्तव्यहीनता तथा कदाचार एवं चारित्रिक दोष के कारण बिना किसी नोटिस के अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

VIII. सेवानिवृत्ति के समय मेडिकल कैटेगरी SHAPE-1 होना चाहिए तथा चिकित्सा जाँच में पूरी तरह योग्य पाये जाने पर ही अनुबंध पर लिया जायेगा।

IX. सेवा में योगदान के लिए प्रत्येक भूतपूर्व सैनिक/पदाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा।

X. सेवानिवृति के समय आचरण EXEMPLARY या VERY GOOD डिस्चार्ज बुक मे दर्शित होना चाहिए।

4. पैरा 02 क्रं0स0 01 से 14 तक के उम्मीदवार की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार तिथि–दिनांक **21/07/2015 से 24/07/2015** तक प्रतिदिन **10.30** बजे पूर्वाह्न से आरम्भ की जायेगी।

स्थान – मुख्यालय, झारखण्ड सशस्त्र पुलिस–01, डोरन्डा, राँची। इच्छुक उम्मीदवार नियुक्ति बोर्ड के समक्ष उपरोक्त दिन एवं समयानुसार आवेदन प्रपत्र एवं मूल प्रमाण–पत्रों के साथ उपस्थित हो सकते हैं।

5. अनुबंध पर नियुक्ति हेतु इच्छुक भूतपूर्व सैनिक उपरोक्त तिथियों को **परिशिष्ट 'क'** पर दिये प्रपत्र (आवेदन) को भरकर, चार स्टाम्प साईज फोटो, डिस्चार्ज बुक, पहचान–पत्र, पी0पी0ओ0, कोर्स सर्टिफिकेट का मूल प्रमाण–पत्र के साथ छायाप्रति लेकर आयेंगे। यह प्रपत्र **झारखण्ड पुलिस मुख्यालय के वेबसाइट www.jhpolice.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

6. आवेदन प्रपत्र अध्यक्ष, SAP नियुक्ति बोर्ड, पुलिस उप–महानिरीक्षक, झा0स0पु0, डोरण्डा, राँची को संबोधित होगा।

अपर पुलिस महानिदेशक,
(झारखण्ड सशस्त्र पुलिस)
राँची।

झारखण्ड स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस {Special Auxilary Police (SAP)} में भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति हेतु आवेदन का प्रपत्र

विज्ञापन संख्या 01/2015

सेवा में,

....
....
....

हाल का पासपोर्ट साईज स्वाहस्ताक्षरित फोटो गोंद से चिपकायें (हस्ताक्षर का कुछ भाग फोटो पर ,वं कुछ

1. आवेदित पद का नाम :-
2. आवेदक का नाम (बड़े देवनागरी अक्षरों में साफ-साफ) :-

   (बड़े रोमन अक्षरों में साफ-साफ) :-
3. पिता का नाम (बड़े देवनागरी अक्षरों में साफ-साफ) :-
4. स्थायी पता :-

   (क) ग्राम/मुहल्ला :- (ख) पत्रालय :-
   (ग) थाना :- (घ) जिला :- पिन कोड :-
5. पत्राचार का पता :-

   (क) ग्राम/मुहल्ला :- (ख) पत्रालय :-
   (ग) थाना :- (घ) जिला :- पिन कोड :-

   फोन/मोबाईल न॰ : -
6. जन्म तिथि :- दि[ ][ ] [ ][ ] व[ ][ ][ ][ ]

   01/06/2015 को दिन [ ][ ] माह [ ][ ] [ ][ ][ ][ ]
   व वर्ष
   आवेदक की आय
7. स्थल सेना में भर्ती होने कि तिथि ...., किस पद पर कार्यरत रहे ....रेजिमेन्ट/कोर ....
8. सेवानिवृत्ति की तिथि.........................., पद ....एवं यूनिट जहाँ से सेवानिवृत्त हुए ....
9. सैन्य सेवा के दौरान विशेष प्रशिक्षण, उग्रवाद ग्रसित क्षेत्रों में सेवा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्य की विवरणी :- (आवश्यकता हो तो यह विवरणी अलग पृष्ठ पर लिख कर संलग्न करें)

   (क) विशेष प्रशिक्षण (आर्मी कोर्स और ग्रेडिंग)

   (i) **(iv)**
   (ii) **(v)**
   (iii) **(vi)**

   (ख) उग्रवाद ग्रसित इलाकों में सेवा विवरणी

   (i) **(iv)**
   (ii) **(v)**
   (iii) **(vi)**

   (ग) प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्य करने का अनुभव

   (i)
   (ii)
   (iii)

10. शारीरिक पहचान के दो चिन्ह :–

(क)

(ख)

11. संलग्न किये जाने वाले अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की सूची (डिस्चार्ज कार्ड/पहचान–पत्र/शैक्षणिक योग्यता/जन्म तिथि प्रमाण–पत्र/स्टाम्प साईज फोटो एवं एक पासपोर्ट साईज फोटो)

1.
2.
3.
4.

____

आवेदक के पूरे हस्ताक्षर रेखा के उपर

स्थान :–

दिनांक :–

घोषणा–पत्र

12. मैं घोषणा करता हूँ कि उपर दी गयी सभी सूचनायें तथा संलग्न प्रमाण–पत्र सही है। मिथ्या पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी एवं नियुक्ति बिना सूचना के रद्द की जा सकती है। यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं किसी फौजदारी मुकदमें में आरोप पत्रित/संदिग्ध/दण्डित नहीं हुआ हूँ ।

स्थान :– आवेदक के पूरे हस्ताक्षर
दिनांक :–